न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर
अजमेर न्यायक्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	–	**डॉ. विमल व्यास**
	–	**आर.जे.एस**
सी.आई.एस. संख्या	–	**6300/2015**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	–	**306/2015**
एफआईआर संख्या	–	**01/2015**
सीएनआर नंबर	–	**RJAJ220001162015**
आरक्षी केन्द्र	–	**पीसांगन**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, पुष्कर **.....अभियोगी**

बनाम

1. विशाल पुत्र श्री विजय सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी टीचर कॉलोनी, प्रेमनगर, गली नंबर 7 काजीपुरा रोड, अजमेर पुलिस थाना गंज, अजमेर।
2. शैलेन्द्र सिंह पुत्र शेखर सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी मकान नंबर 970, काजीपुरा रोड, शिवनगर, बड़ी नागफणी, पुलिस थाना गंज, जिला अजमेर। **....अभियुक्तगण**

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:–
अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।
श्री अर्जुन सिंह सिंह राठौड़, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण।

–:प्रकरण के संक्षिप्त विवरण:–

अपराध की तिथि	30.12.2014
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	02.01.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	18.02.2015
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	20.09.2017
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	19.12.2018
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	01.05.2026
निर्णय की तिथि	01.05.2026
दण्ड दिए जाने की तिथि (यदि हो तो)	–

–:अभियुक्त का विवरण:–

अभियुक्तगण की क्रम संख्या	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिए गए दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा 428 द.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
1.	विशाल सिंह	–	–	341, 323, 325 सपठित 34 भारतीय दण्ड संहिता	दोषसिद्ध	दण्डादेशानुसार	–
2	शैलेन्द्र सिंह	–	–				–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू–1	जगवीर सिंह	पुलिस गवाह
पीडब्ल्यू–2	महेन्द्र	परिवादी मजरूब
पीडब्ल्यू–3	सुनील	पुलिस गवाह
पीडब्ल्यू–4	सुरेन्द्र भाट	पुलिस गवाह
पीडब्ल्यू–5	भवानी सिंह	अनुसंधानकर्ता
पीडब्ल्यू–6	योगेश शर्मा	चिकित्सा अधिकारी
पीडब्ल्यू–7	शंकर सिंह	चाक एफ.आई.आर कर्ता

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	लिखित रिपोर्ट	प्रदर्श पी–1
2	चाक एफ.आई.आर.	प्रदर्श पी–2
3	नक्शा मौका घटनास्थल	प्रदर्श पी–3
4	चोट प्रतिवेदन महेन्द्र	प्रदर्श पी–4 व पी 5
5	एक्सरे रिपोर्ट	प्रदर्श पी–6
6	एक्सरे फार्म	प्रदर्श पी–7
7	चोट बाबत् राय हेतु तहरीर	प्रदर्श पी–8
8	एक्सरे प्लेट	प्रदर्श पी–9

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
1	पुलिस बयान महेन्द्र	प्रदर्श डी–1

निर्णय **दिनांक 01.05. 2026**

01– इस प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना पीसांगन की ओर से दिनांक 18.02.2015 को अभियुक्तगण विशाल सिंह व शैलेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर में आरोपपत्र प्रस्तुत करने पर हुआ। कालांतर में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के आदेश क्रमांक 09 दिनांक 06.01.2026 की पालना में हस्तगत प्रकरण अंतरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसका निस्तारण हस्तगत निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

02– अभियोजन वृतांत संक्षिप्त में इस प्रकार है कि परिवादी महेन्द्र ने दिनांक 02.01.2015 को एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 थानाधिकारी पुलिस थाना पीसांगन के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय की पेश की कि दिनांक 30.12.2014 को शाम 6 बजे उसके दोस्त विशाल व शैलेन्द्र ने उसको घर बुलाकर पिचौलिया अपनी नानी के पास चलने के लिए कहा। तीनों पिचौलियां के लिए रवाना हुए। रास्ते में जंगल में पेशाब करने के लिए गाड़ी रोकी, तो विशाल ने चाकू से उसके सिर पर हमला कर दिया और शैलेन्द्र ने मफलर से गला घोंटा, तो वह नीचे गिर गया। फिर वे दोनो भी गिर गए। वह जान बचाकर भागा और

आगे रास्ते में ढाबे पर जाकर रूका। वहां से दोस्त को फोन किया तो दोस्त उसे अजमेर लेकर गए। फिर उसने पुलिस थाना गंज पर घटना बताई तो उसका विक्टोरिया में मेडिकल कराया और फिर सुबह गंज थाने पर बुलाकर पीसांगन थाने पर रिपोर्ट करने के लिए कहा।.......आदि।

03– उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 01/2015 अपराध अंतर्गत धारा 323 व 341 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04– बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 20.09.2017 को अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इन्कार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

05– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

06– तत्पश्चात् अभियुक्तगण का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किया गया तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य सफाई को झूठा बताते हुए कोई साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

07– बहस अंतिम सुनी गई। अभियुक्तगण के धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के बन्ध–पत्र व प्रतिभूति पत्र प्राप्त किए गए।

08– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

''क्या, अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.12.2014 को समय शाम करीब 6 बजे के लगभग वाके ग्राम बुधवाडा के पास सुनसान जगह पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी मजरूब महेन्द्र कुमार के जाते हुए का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण एवं गम्भीर उपहति कारित की ? यदि हॉं तो अभियुक्तगण किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है"?

09– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने दलील दी कि पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित हुआ है।

अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जाए।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि गवाहान के कथनों में घोर विरोधाभास है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो आरोपित अपराध में अभियुक्तगण की लिप्तता को प्रकट करे। अन्त में, अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

11– उपरोक्त परस्पर विरोधी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु 08 साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है जिनकी साक्ष्य का विवेचन निम्न प्रकार है:–

साक्षी **पीडब्ल्यू–1 जगवीर सिंह** ने शपथ पर कथन किया कि दिनांक 30.12.14 को रात के 3.00 बजे के लगभग की बात है, वह अपने ढाबे पर खाना बना रहा था तभी वहा पर एक लडका आया जो अपना नाम महेन्द्र भाट बता रहा था जिसके सिर पर लगी हुई थी व खून बह रहा था। उसे उसने पानी पिलाया व पूछा कि चोट कैसे लगी तो उसने बताया कि हम तीन दोस्त यहा घूमने आये थे जिनमें आपस में झगडा हो गया था जिनके नाम उसे पता नहीं है। उसे उसने अपना फोन दिया उसने अपने घर पर बात करी और घटना के बारे में बताया, फिर उसके घर वाले उसे लेने आ गये। इस साक्षी से अभियुक्तगण अधिवक्ता द्वारा **प्रतिपरीक्षा** नहीं की गई है।

साक्षी **पीडब्ल्यू–2 महेन्द्र** ने शपथ पर कथन किया कि दिनांक 30 दिसम्बर 2014 की बात है, शाम के 6 बजे के आसपास उसके दोस्त विशाल और शैलेन्द्र सिंह उसे घर बुलाने के लिए आये और विशाल ने कहा कि उसके ननिहाल पिचौलिया चलेंगे वहीं खाना खायेंगे जिस पर वह विशाल ओर शैलेन्द्र की एक्टीवा पर बैठकर उनके साथ पिचौलिया के लिए रवाना हो गये, रास्ते में हमने बीयर पी थी और कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के पिलाया था फिर हम पिचौलिया के आगे कच्चे रास्ते पर पहुंचे उस समय वह स्कूटी चला रहा था फिर विशाल ने पेशाब करने के लिए स्कूटी रूकवायी तो उसने स्कूटी रोक दी और वो दोनो साईड में टायलेट करने गये। वह दूसरी तरफ टोयलेट करने गया फिर वापिस आये और वापिस स्कूटी पर बैठकर वह गाडी चलाने लगा वो उसके पीछे बैठ गये तो विशाल ने चाकू से उसके सिर में कान के उपर दाहिनी तरफ मारी व उसे गाड़ी से नीचे गिरा दिया,और वह उठकर थोड़ा संभला तभी उसके शैलेन्द्र ने मफलर से फांसी के फंदे के जैसे गला भींच दिया, उसे चक्कर आये फिर उसे धक्का दिया तो वह जंगल की तरफ भागा। थोड़ी देर तक उन्होने उसका पीछा भी किया फिर वह भागते–भागते रोड़ पर पहुंचा जहां एक बन्ना जी का ढाबा था, वहां पर उसने पहुंच कर उसके दोस्त सुनील को जगवीर बन्ना के फोन से फोन किया ओर उन्हे सारी बात बतायी और बचकर वहीं बैठा रहा, रात के 10 बजे के लगभग उसके दोस्त सुनील व सुरेन्द्र मोटरसाईकिल लेकर ढाबे पर आये जिनके साथ वह अजमेर पहुंचा ओर गंज थाने पर जाकर रिपोर्ट कराना चाहा, उनको सारी बात बतायी तो उन्होने

कहा पहले ईलाज कराओ फिर रिपोर्ट देना फिर उसका विक्टोरीया में ईलाज कराया, वापिस गंज थाने गया, जहां थाने वालो ने कहा की घटना पिचौलिया में हुयी है, आप संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराओ। घटना के 6 माह पहले शैलेन्द्र के भाई से उसकी बोलचाल हुयी थी, फिर राजीनामा हो गया, इसी रंजिश को लेकर इन दोनो ने उसके साथ मारपीट की, इसकी रिपोर्ट घटना के 3 दिन बाद उसने पुलिस थाना पीसांगन पर जाकर पेश की उसकी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है जिस पर ए से बी उसकी रिपोर्ट, सी से डी उसके हस्ताक्षर है, जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है जिस पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। रिपोर्ट पेश करने के अगले दिन पुलिस ने सुनील और रमेश के सामने उसकी निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–3 बनाया, जिस पर ए से बी उसेक हस्ताक्षर है। उसकी चोटों बाबत उसका मेडिकल हुआ था, उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 एवं 5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं उसका एक्सरे भी हुआ था, जिस पर उसकी चोट संख्याएं गंभीर प्रकृति की थी, उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 है, पुलिस ने उसके बयान लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह कक्षा 8 तक पढा लिखा है। पुलिस वालों ने उसके बयान लिये थे, मौका मुआयना करवाया तब पुलिस वालों ने उसके बयान लिये थे। घटना की रिपोर्ट पुलिस वालों ने लिखी थी उक्त पुलिस वाले का नाम उसे आज याद नहीं है। उसकी तहरीर रिपोर्ट पर उसके अलावा उसके पापा के हस्ताक्षर हुए थे। उसने घटना की रिपोर्ट घटना के दो–तीन बाद करवाई थी अजखुद कहा कि दिनांक 02.01.2015 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। गवाह ने प्रदर्श पी–1 तहरीर रिपोर्ट देखकर बताया कि पुलिस थाना पीसांगन में तहरीर रिपोर्ट देने की दिनांक 31.12.2014 गलत लिखी हुई है अजखुद कहा कि उसने तो रिपोर्ट 02.01.2015 को करवाई थी। यह कहना सही है कि उसकी तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 एवं पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 में स्कूटी विशाल और शैलेन्द्र चला रहे हो और स्कूटी विशाल और शैलेन्द्र की हो यह बात नहीं लिखी हुई है। यह कहना सही है कि उसकी तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में तीनों ने बीयर और शराब पी हो यह बात नहीं लिखी हुई है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–1 तहरीर रिपोर्ट और पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 में शैलेन्द्र और विशाल ने उसे कोल्डड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाया हो यह बात नहीं लिखी हुई है। यह कहना सही है कि पुलिस वालों ने उसक सामने कोई चाकू जब्त नहीं किया था। घटना के दूसरे दिन पुलिस वालों ने उसका मेडिकल करवाया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 01 तहरीर रिपोर्ट में 6 माह पहले उसके और शैलेन्द्र के भाई के बीच झगडा हुआ था और हमारा राजीनामा हो गया था मगर उसी रंजीश को लेकर शैलेन्द्र और विशाल ने उसके साथ मारपीट की है यह बात नहीं लिखी हुई है। यह कहना सही है कि 6 माह पहले हुई घटना को लेकर उसने पुलिस में किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था। पुलिस वालों ने बन्ना से पूछताछ की थी। वह जगवीर सिंह पुत्र हरिसिंह को नहीं जानता हूं। वे जब बन्ना के ढाबे पर गये थे तब वहां पर 10–12 लोग थे। इस घटना के बाद में अस्पताल में भर्ती रहा था फिर

कहा कि वह भर्ती नहीं रहा और उसका मेडिकल हुआ था। उसके सामने पुलिस वालों ने केवल बन्ना से बात की थी और बाकि से कोई पूछताछ की या नहीं उसे पता नहीं। यह कहना सही है कि उसकी तहरीर रिपोर्ट में उसने गाडी रोकी और विशाल के चाकू से उसके सिर में कान के उपर दाहिने और चोट मारी और वह गाडी से उतरकर नीचे गिरा यह बात नही लिखी हुई है। यह कहना सही है कि घटना के समय सर्दी का समय था और शाम का समय था। इस घटना के बाद वह दो–तीन बार थाने पर गया था। पुलिस वालों ने उससे कितने कागजों पर साईन करवाये थे उनकी उसने गिनती नहीं की थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–3 पर पुलिस वालों ने उसके हस्ताक्षर थाने पर करवाये थे। वह, सुनील पुत्र पुरूषोतम और सुरेन्द्र पुत्र प्रेमकुमार को घटना के एक साल पहले से जानता है। सुरेन्द्र उसका भाई है और सुनील उसका जाति भाई है। यह कहना गलत है कि जब शैलेन्द्र और विशाल पेशाब करने गये थे तब वह स्कूटी लेकर चला गया हो। यह कहना गलत है कि जब शैलेन्द्र और विशाल पेशाब करने गये तब वह वहां से स्कूटी को लेकर चला गया हो और गिरने से उसके चोटें आ गई हो।

साक्षी **पीडब्ल्यू–3 सुनील** ने शपथ पर कथन किया कि वह पालरा का रहने वाला है और अजमेर रेलवे स्टेशन पर ओटो चलाता है। दिनांक 30.12.2014 की बात है कि रात को करीब 9 बजे के आस पास उसके दोस्त महेन्द्र भाट जो कि उसके साथ ही ऑटो रिक्शा चलाता है उसका फोन आया तो उसने बताया कि उसके दोस्त विशाल और शैलेन्द्र के साथ में उनके ननिहाल पिचौलिया गया था, जहां उसके दोस्त विशाल और शैलेन्द्र ने उसे जंगल मे लाकर उसके साथ धोखे से मारपीट की और उसके कान के उपर चाकू की मार दी, जिससे उसके खून आ रहा है और वह उनसे जान बचाकर भागकर पिचौलिया और नूरियावास के बीच जगवीर बन्ना के ढाबे पर है और उसी के फोन से फोन कर रहा हूं और आप मुझे जल्दी लेकर लेने आ जाओ। जिस पर वह तुरन्त उसके दोस्त सुरेन्द्र भाट को लेकर सुरेन्द्र भाट की मोटरसाईकिल से समय करीब रात्रि के 10 बजे के आस पास जगवीर बन्ना के ढाबे पर पहुंचे जहां हमें हमारा दोस्त महेन्द्र कुमार मिला जिसके दाहिने तरफ कान के उपर चोट आ रखी थी और खून आ रहा था जिसको लेकर हम अजमेर आये और गंज थाने में गये तो पुलिस वालों ने हमें कहा कि पहले इसका इलाज करवाओ, फिर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने आना। फिर हम विक्टोरिया में इलाज करवाकर वापिस गंज थाने गये तो गंज थाने वालों ने कहा कि घटना पिचौलिया की है और पीसांगन थाने जाओ जिस पर 2 तारीख को महेन्द्र ने पीसांगन थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवादी। फिर अगले दिन 3 तारीख को वह महेन्द्र के साथ घटनास्थल कच्चा रास्ता सरद बुधवाडा पिचौलिया के पास जंगल में गये थे जहां उसके और रमेश कुमार के सामने महेन्द्र के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका घटनास्थल बनाया था जो प्रदर्श पी–03 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है और ई से एफ रमेश कुमार के हस्ताक्षर है जो उसके सामने किये थे। पुलिस ने उसके बयान भी लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई

प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि उक्त घटना के बारे में उसे महेन्द्र भाट ने बताया था। पिचैलिया से महेन्द्र भाट को लेकर वे पहले गंज थाने पर गये उसके बाद जेएलएन अस्पताल गये थे। वह कक्षा 8 तक पढा लिखा है। इस घटना के बाद वह पीसांगन थाने में एक बार ही गया था। पीसांगन थाने वालों ने उससे लगभग 2–4 कागजों पर साईन करवाये थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–3 पर पुलिस वालों ने उससे थाने पर हस्ताक्षर करवाये थे। महेन्द्र भाट को वह बचपन से जानता है। उसकी महेन्द्र भाट से अच्छी मित्रता एवं प्रेम है। वह महेन्द्र भाट के कहे अनुसार बयान दे रहा है। यह कहना गलत है कि वहमहेन्द्र भाट का बचपन का मित्र है इसलिये आज न्यायालय में झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी **पीडब्ल्यू–4 सुरेन्द्र भाट** ने शपथ पर कथन किया कि वह नागफणी फायसागर का रहने वाला है और अजमेर रेलवे स्टेशन पर ऑटो चलाता है। दिनांक 30.12.2014 की बात है कि रात को करीब 9 बजे के आस पास उसके दोस्त महेन्द्र भाट जो कि उसके साथ ही ऑटो रिक्शा चलाता है उसका फोन आया तो उसने बताया कि उसके दोस्त विशाल और शैलेन्द्र के साथ वह उनके ननिहाल पिचौलिया गया था, जहां उसके दोस्त विशाल और शैलेन्द्र ने उसे जंगल में लाकर उसके साथ धोखे से मारपीट की और उसके कान के उपर चाकू की मार दी, जिससे उसके खून आ रहा है और वह उनसे जान बचाकर भागकर पिचौलिया और नूरियावास के बीच जगवीर बन्ना के ढाबे पर है और उसी के फोन से फोन कर रहा है और आप मुझे जल्दी लेकर लेने आ जाओ। जिस पर वह तुरन्त उसके दोस्त सुनील को लेकर उसकी मोटरसाईकिल से समय करीब रात्रि के 10 बजे के आस पास जगवीर बन्ना के ढाबे पर पहुंचे, जहां हमे उसका दोस्त महेन्द्र कुमार मिला जिसके दाहिने तरफ कान के उपर चोट आ रखी थी और खून आ रहा था, जिसको लेकर हम अजमेर आये और गंज थाने में गये तो पुलिस वालों ने हमें कहा कि पहले इसका इलाज करवाओ फिर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने आना। फिर हम विक्टोरिया में इलाज करवाकर वापिस गंज थाने गये तो गंज थाने वालों ने कहा कि घटना पिचौलिया की है और पीसांगन थाने जाओ जिस पर 2 तारीख को महेन्द्र ने पीसांगन थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि उक्त घटना के बारे में उसे महेन्द्र भाट ने बताया था। पिचैलिया से महेन्द्र भाट को लेकर हम पहले गंज थाने पर गये उसके बाद हम जेएलएन अस्पताल गये थे। वह कक्षा 8 तक पढा लिखा है। इस घटना के बाद वे पीसांगन थाने में एक बार ही गया था। पीसांगन थाने वालों ने उससे लगभग 2–4 कागजों पर साईन करवाये थे। महेन्द्र भाट को वह बचपन से जानता है। उसकी महेन्द्र भाट से अच्छी मित्रता एवं प्रेम है। वह महेन्द्र भाट के कहे अनुसार बयान दे रहा है। यह कहना गलत है कि वह महेन्द्र भाट का बचपन का मित्र है, इसलिये आज न्यायालय में झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी **पीडब्ल्यू–5 भवानी सिंह** ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक

02.01.2015 को पुलिस थाना पीसांगन पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस रोज परिवादी महेन्द्र कुमार ने थाना हाजा पर उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट एसएचओ शंकर सिंह मेड़तिया के सामने पेश की, जिस पर एसएचओ ने कार्यवाही पुलिस अंकित कर प्रकरण धारा 323, 341, 34 आईपीसी मुकदमा नं 1/15 में दर्ज कर अनुसंधान उसके जिम्मे किया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पर ई से एफ कार्यवाही पुलिस अंकित कर जी से एच शंकर सिंह के हस्ताक्षर है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है जिस पर भी सी से डी शंकर सिंह के हस्ताक्षर है, उनके साथ काम करने से हस्तलेख व हस्ताक्षर पहचानता है। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान गवाहन महेन्द्र कुमार, सुनील, सुरेन्द्र, जगवीर सिंह के के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये तथा दिनांक 03.01.2015 को घटनास्थल पर जाकर गवाहन रमेश कुमार व सुनील के समक्ष परिवादी महेन्द्र कुमार की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका घटनास्थल बनाया, जो प्रदर्श पी–3 है, जिस पर ए से बी परिवादी सी से डी, ई से एफ गवाहन, जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा पुश्त भाग पर हालात मौका अंकित है। दौराने अनुसंधान गंज थाने द्वारा महेन्द्र की ईलाज करवाया, उसके बाबत आईआर प्रदर्श पी–4 व एक्सरे फार्म प्रदर्श पी–7 उसके द्वारा शामिल पत्रावली की, जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान मज़रूब महेन्द्र का सीएचसी पीसांगन पर मेडिकल कराकर उसकी आईआर रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 शामिल पत्रावली की, जिस पर सी से डी शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है तथा चिकित्सा अधिकारी की राय पर मजरूब महेन्द्र का एक्सरे कराकर एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 शामिल पंत्रावली की, जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है। चिकित्सा अधिकारी ने मजरूब की चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की मानी जिस पर उक्त चोट बाबत उसके द्वारा की उक्त चोट प्राणघातक है या नही चिकित्सा अधिकारी से राय ली गयी, जो प्रदर्श पी–8 है, जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है। मजरूब की एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–9 है। उसके संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिम विशाल सिंह व शैलेन्द्रसिंह के विरूद्ध धारा 323, 341, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चालान हेतु पत्रावली एसएचओ को सुपुर्द की, जिन्होने उपरोक्त मुलजिमानों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में ही चार्जशीट किताकर चालान न्यायालय में पेश किया, चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी एसएचओ शंकरसिंह के हस्ताक्षर है, जिनके साथ काम करने से उनके हस्ताक्षर पहचानता है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त पत्रावली अनुसंधान के लिए घटना के दिन ही उसे प्राप्त हो गई, अजखुदकहा कि एफआईआर दर्ज होते ही प्राप्त हो गई थी। पत्रावली अनुसंधान हेतु मिलने के बाद वह घटनास्थल पर एकबार ही गया था। यह कहना सही है कि जब भी वे अनुसंधान के लिए कहीं जाते हैं तो थाने पर रोजनामचा रपट डाली जाती है। वह उस दिन अनुसंधान के लिए घटनास्थल पर गया था उसकी रोजनामचा डाली थी। यह कहना सही है

कि उक्त रोजनामचा पत्रावली पर मौजूद नहीं है। वह पीसांगन थाने पर वर्ष 2014 से 2016 तक एएसआई के पद पर पदस्थापित रहा था। यह कहना सही है कि उसके पीसांगन थाने पर वर्ष 2014 से 2016 तक एएसआई के पद पर पदस्थापित रहने बाबत् कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है। उसने आहतगणों का मेडिकल घटना के पांच दिन बाद करवाया था। उसे तहरीर रिपोर्ट मिली थी, उस दिन मेडिकल करवाया गया था। यह कहना सही है कि घटना के तीन दिन बाद परिवादी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। परिवादी ने मुकदमा देर से कराये जाने बाबत् अपने बयानों में बताया था कि घटना की रात वह गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराने गये थे क्योंकि वह गंज थाने के इलाके के रहने वाले हैं लेकिन गंज थाने वालों ने घटना पीसांगन की होने से पीसांगन जाकर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा था। उसने आहतगत और परिवादी का मेडिकल करवाने के लिए तहरीर जारी की थी। यह कहना सही है कि उक्त मेडिकल कराने की तहरीर पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यह कहना गलत है कि घटनास्थल के पास कोई होटल हो, अजखुदकहा घटनास्थल के थोडी दूरी पर होटल स्थित है। यह बात सही है कि घटनास्थल के पास बुधवाड़ा जाने वाले कच्चा रास्ता है। यह कहना गलत है कि नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी–3 पर कांटछांट हो रखी हो। नक्शामौका बनाते समय तीन लोग इकटठे हुए थे। यह कहना गलत है कि घटनास्थल के पास में शिवजी का मंदिर हो। उसके अनुसंधान में परिवादी के कथनो में आया है कि परिवादी व आरोपीगण ने शराब पी रखी थी। उसके अनुसंधान मे यह बात नहीं आई की शैलेन्द्र ओर विशाल ने महेन्द्र भाट को कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाया हो। उसने कोई चाकू जब्त नहीं किया था। उसके अनुसंधान मे यह बात आई थी की परिवादी व आरोपी के भाई के मध्य 6 माह पूर्व झगड़ा हुआ था जिसमे राजीनामा हो गया था। यह कहना गलत है कि उसने बन्ना सिंह के बयान लिये हो व पूछताछ की हो। उसने जगवीर सिंह के बयान लिये थे। यह कहना सही है कि जगवीर सिंह का ढाबा घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर है अजखुदकहा आधा किलोमीटर दूर है। आहत भर्ती रहा था या नहीं रहा था फिर कहा आहत महेन्द्र भाट अस्पताल में भर्ती नहीं रहा हो ऐसा उसके अनुसंधान में नही आया। यह कहना सही है कि आहत के चाकू से कान पर चोट आई हो उसके अनुसंधान मे नहीं आया अजखुदकहा चाकू से कान के उपर सिर में चोट आना परिवादी ने कथनो में बताया। यह कहना गलत है कि उसने गवाहों के बयान अपनी मनमर्जी से लिखे हो। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं गया हो। यह कहना भी गलत है कि उसने समस्त फर्दे थाने पर बैठकर बनाई हो। यह कहना गलत है कि उसने आरोपीगणो के विरूद्व गलत अनुसंधान कर झूठा फंसाया हो।

साक्षी **पीडब्ल्यू–6 योगेश शर्मा** ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 02.01.2015 को सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र पीसांगन में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना पीसांगन की तहरीरी पर उसके द्वारा आहत महेन्द्र कुमार पुत्र रमेश कुमार उम्र 21 वर्ष निवासी अजमेर के शरीर पर आई चोटों का मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–5 तैयार किया था, जिस पर ए से बी मजरूब के हस्ताक्षर ई से एफ चोट

प्रतिवेदन, के से एल उसके हस्ताक्षर है जी से एच एक्सरे है जिसके अनुसार चोटे निम्न है, चोट संख्या 1– सिला हुआ घाव उस पर पट्टी लपेटी हुयी है जिसका आकार 1/4 गुना 1/4 त्वचा गहराई तक खोपड़ी के दांयी तरफ जिसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 है जिस पर ए से बी रिपोर्ट, सी से डी उसके हस्ताक्षर है, उक्त चोट गंभीर प्रकृति की व कुंद हथियार से आना कारित थी। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–9 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 5 बनाने के लिए पुलिस वालो ने उसे तहरीरी दी थी, उक्त तहरीरी पत्रावली पर नहीं है। चोटो की अवधि 4 से 5 दिन की थी। यह कहना सही है किसी चोट पर कोई खून नहीं आ रहा था। यह कहना सही है कि उक्त चोट कठोर धरातल पर गिरने, पड़ने से आना संभव है।

साक्षी **पीडब्ल्यू–7 शंकर सिंह** ने शपथ पर कथन कियाकि वह दिनांक 02.01.2015 को पुलिस थाना पीसांगन पर थानाधिकारी के पद पर तैनात था उस रोज परिवादी महेन्द्र ने थाना हाजा पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 उसके सामने पेश की, जिस पर उसके द्वारा ई से एफ कार्यवाही पुलिस अंकित कर प्रकरण धारा 323, 341, 34 आईपीसी, एफआईआर नं 1/15 में दर्ज कर अनुसंधान भवानी सिंह के जिम्मे किया जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 पर भी ए से बी परिवादी व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान, आईओ भवानी सिंह ने मुलजिम विशाल सिंह पुत्र विजय सिंह व शैलेन्द्र सिंह पुत्र शेखर सिंह निवासीयान काजीपुरा रोड़ राहुल नगर के विरूद्ध धारा 323, 341, 325, 34 आईपीसी का अपराध प्रमाणित मानकर चालान हेतु पत्रावली उसे प्राप्त हुयी जिस पर उसके द्वारा बाद अवलोकन अनुसंधान पत्रावली उपरोक्त मुलजिम के विरूद्ध उपरोक्त धाराओ में ही चार्जशीट किताकर चालान न्यायालय में पेश किया चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि यह कहना सही है कि उसके द्वारा अनुसंधान नहीं किया गया था और प्रदर्श पी–1 परिवादी ने उसके सामने नहीं लिखी थी।

12– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सकल मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में आपराधिक अभियांत्रिकी का प्रादुर्भाव परिवादी महेन्द्र कुमार द्वारा एक रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पुलिस थाना पीसांगन पर पेश करने पर हुआ, जिसके माध्यम से उसने कथन किया है कि दिनांक 30.12.2014 को शाम 6 बजे जब वह अपने दोस्त विशाल व शैलेन्द्र के साथ पिचौलिया जा रहा था था तो रास्ते में पिचौलिया के जंगल में पेशाब करने बाबत् गाड़ी रूकवाई। उसी समय विशाल ने चाकू से उसके सिर पर हमला कर दिया और शैलेन्द्र ने मफलर से गला घोंटा तो वह चक्कर खाकर नीचे गिर गया। फिर वह जान बचाकर भागा। उन दोनो ने थोड़ी दूर तक जंगल में उसका पीछा किया। भागते–भागते वह बन्ना के ढाबे पर पहुॅचा, जो रास्ते में था। आधे घंटे बाद उसने अपने दोस्त को फोन करके आपबीती बताई, जिससे प्रकट होता है कि प्रकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह आहत परिवादी महेन्द्र स्वयं है, जो न्यायालय के समक्ष पीडब्ल्यू–

2 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षण के कथनों में स्वयं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की। साथ ही यह कथन किया कि जब वह भागता–भागता बन्ना के ढाबे पर पहुॅचा तब वहां से उसने अपने दोस्त सुनील को जगवीर बन्ना के फोन द्वारा सारी बात बताई। साथ ही उक्त गवाह ने अपने कथनों के समर्थन में स्वयं द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, उसके अनुसरण में जारी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2, घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 व स्वयं के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 व पी–5 साथ ही एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 को प्रदर्शित कराया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसने घटना की रिपोर्ट 2–3 दिन बाद लिखाई थी। फिर कहा कि दिनांक 02.01.2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर प्रदर्श पी–1 में दिनांक 31.12.2014 गलत लिखी हुई है।

13– उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उसने दोस्त सुनील को फोन किया था। उक्त सुनील न्यायालय के समक्ष पीडब्ल्यू–3 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 30.12.2014 को उसके पास उसके दोस्त महेन्द्र का फोन आया, जिसने बताया कि विशाल और शैलेन्द्र ने उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ धोखे से मारपीट की और कान के उपर चाकू से मारा जिससे खून आ रहा है। वह जान बचाकर जगवीर बन्ना के ढाबे पर पहुॅचा, जहां से फोन किया, जिस पर वह अपने दोस्त सुरेन्द्र भाट को लेकर सुरेन्द्र भाट की मोटर साईकिल से जगवीर बन्ना के ढाबे पर पहुॅचा, जहां महेन्द्र मिला, जिसके कान पर चोट आ रखी थी और खून आ रहे थे। जिसको लेकर वह गंज थाने गया तो पुलिस वालों ने कहा कि पहले इलाज कराओ। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 बनाया। उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि वह महेन्द्र भाट के कहे अनुसार बयान दे रहा हूॅ।

14– साक्ष्य की इसी कड़ी में सुरेन्द्र भाट, जिसकी मोटर साईकिल पर उसे लेकर सुनील भाट घटनास्थल पर गया, वह न्यायालय के समक्ष पीडब्ल्यू–4 के रूप में परीक्षित हुआ है। उसने भी गवाह सुनील भाट पीडब्ल्यू–3 के कथनों की भांति ही अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने स्वीकार किया कि वह महेन्द्र को बचपन से जानता है। महेन्द्र भाट से उसकी अच्छी मित्रता एवं प्रेम हैं। वह महेन्द्र भाट के कहे अनुसार बयान दे रहा है। साक्ष्य की इस कड़ी में जगवीर सिंह न्यायालय के समक्ष पीडब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 30.12.2014 को रात के 9 बजे के लगभग वह अपने ढाबे पर खाना बना रहा था, तभी वहां पर एक लड़का आया जो अपना नाम महेन्द्र भाट बता रहा था जिसके सिर पर लगी हुई थी और खून बह रहा था। उसने पूछा कि चोट कैसे लगी तो उसने बताया कि हम तीन दोस्त यहां घूमने आए थे जिनमें आपस में झगडा हो गया, जिनका नाम उसे पता नहीं। उसने उसके फोन से अपने घर पर बात घटना के बारे में बात

की।

15– आगे चिकित्सीय साक्षी के रूप में डॉ.योगेश शर्मा पीडब्ल्यू–6 योगेश शर्मा महेन्द्र कुमार की चोट का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–5, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 जारी करने बाबत् साक्ष्य दी है। साथ ही अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को स्वीकार किया कि उक्त चोट कठोर धरातल पर गिरने–पड़ने से आ सकती है। आगे साक्षी पीडब्ल्यू–7 शंकर सिंह प्रकरण में स्वयं के समक्ष महेन्द्र कुमार द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पेश करने पर उसेक द्वारा चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–2 जारी करना और अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में पेश करने बाबत् औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। अंत में प्रकरण में पीडब्ल्यू–5 भवानी सिंह ने स्वयं के द्वारा किए गए अनुसंधान बाबत् विस्तृत सकारात्मक साक्ष्य दी है एवं अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि उसके अनुसंधान में यह बात नहीं आई थी कि अभियक्तगण ने महेन्द्र को कोल्डड्रिंक में कुछ पिलाया हो। साथ ही यह स्वीकार किया कि आहत के चाकू से कान पर चोट आई हो उसके अनुसंधान में नहीं आया। अज खुद कहा कि चाकू से कान के उपर सिर में चोट आना परिवादी ने कथनों में बताया था। इस न्यायालय के विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण में परिवादी आहत महेन्द्र कुमार एक मात्र घटना का प्रत्यक्ष साक्षी है। आहत को कारित चोट की पुष्टि प्रदर्श पी–5, प्रदर्श पी–6 लगायत 9 व एक्सरे प्लेटों से भी होती है। यद्यपि उक्त साक्षी ने अपने न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में स्वयं द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में वर्णित तथ्यों से परे जाकर विस्तृत साक्ष्य दी है परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने कई न्यायिक निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का पूरा विवरण अंकित करना आवश्यक नहीं होता है। परिवादी आहत महेन्द्र ने स्वयं के साथ हुई घटना का जो विवरण दिया है, उसकी पुष्टि अन्य गवाह पीडब्ल्यू–3 सुनील, पीडब्ल्यू–4 सुरेन्द्र भाट व पीडब्ल्यू–1 जगवीर सिंह करते हैं। यद्यपि पीडब्ल्यू–3 सुनील व पीडब्ल्यू–4 सुरेन्द्र भाट ने सुनी–सुनाई बात के आधार पर साक्ष्य दी है और प्रतिपरीक्षा में महेन्द्र भाट से अच्छी मित्रता व प्रेम होने का कथन करते है परंतु घटना दिसम्बर की रात्रि की है, जहां आहत के साथ अन्य कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं था। ऐसी स्थिति में उक्त दोनो गवाह के बयानों को भी नहीं मानने का न्यायालय के समक्ष कोई ठोस एवं संतोषजनक कारण नहीं है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने अपनी कहानी के प्रमाणीकरण के लिए जो साक्ष्य पेश की है कि उसमें अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान के कथनों में कोई भारी विरोधाभास प्रकट नहीं हुआ है। न्यायालय यहां यह उल्लेख करना वांछनीय समझता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी कथन को साबित करने के लिए साक्षी की संख्या नहीं अपितु उनकी विश्वसनियता देखनी होती है। यद्यपि प्रकरण में कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है किन्तु अभियोजन पक्ष ने जिस प्रकार कड़ीबद्ध साक्ष्य की श्रृंखला न्यायालय के समक्ष पेश की है, उससे अभियोजन कहानी को प्रमाणित माना जाता है।

16– सम्प्रति, अभियोजन पक्ष, अपनी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर

इस अवधारणीय बिन्दु को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.12.2014 को समय शाम करीब 6 बजे के लगभग वाके ग्राम बुधवाडा के पास सुनसान जगह पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी मजरूब महेन्द्र कुमार के जाते हुए का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण एवं गम्भीर उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त 1–विशाल पुत्र श्री विजय सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी टीचर कॉलोनी, प्रेमनगर, गली नंबर 7 काजीपुरा रोड, अजमेर पुलिस थाना गंज, अजमेर एवं 2–शैलेन्द्र सिंह पुत्र शेखर सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी मकान नंबर 970, काजीपुरा रोड, शिवनगर, बड़ी नागफणी, पुलिस थाना गंज, जिला अजमेर को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

17– परिणामतः,अभियुक्त 1–विशाल पुत्र श्री विजय सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी टीचर कॉलोनी, प्रेमनगर, गली नंबर 7 काजीपुरा रोड, अजमेर पुलिस थाना गंज, अजमेर एवं 2–शैलेन्द्र सिंह पुत्र शेखर सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी मकान नंबर 970, काजीपुरा रोड, शिवनगर, बड़ी नागफणी, पुलिस थाना गंज, जिला अजमेर को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुष्कर, (अजमेर)

18– सजा के प्रश्न पर सुना गया। सजा के बिन्दू पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण गरीब व्यक्ति हैं। यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण द्वारा कभी भी न्यायालय द्वारा दी गई परिवीक्षा का लाभ नहीं लिया है, जिस बाबत् अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में परिवीक्षा का लाभ नहीं लिए जाने बाबत् शपथ–पत्र भी पृथक से प्रस्तुत किया गया है। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

19– विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्तगण को उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

20– उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि अभियुक्तगण गरीब व्यक्ति हैं एवं साथ ही अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में उन्हें दोषसिद्ध नहीं किए जाने एवं परिवीक्षा का लाभ नहीं लिए जाने बाबत् शपथ–पत्र भी पृथक से प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य भी

उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में, उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अभियुक्तगण की आयु व प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए यह न्यायालय अभियुक्तगण को तुरन्त प्रभाव से कारावास या अर्थदण्ड से दण्डित करने के बजाय सुधार का एक अवसर दिया जाना न्यायसंगत पाता है तथा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध अपराध के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का फायदा दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

दण्डादेश

21– अतः अभियुक्तगण 1–विशाल पुत्र श्री विजय सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी टीचर कॉलोनी, प्रेमनगर, गली नंबर 7 काजीपुरा रोड, अजमेर पुलिस थाना गंज, अजमेर एवं 2–शैलेन्द्र सिंह पुत्र शेखर सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी मकान नंबर 970, काजीपुरा रोड, शिवनगर, बड़ी नागफणी, पुलिस थाना गंज, जिला अजमेर को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता की दोषसिद्धी के तहत अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण एक वर्ष की अवधि हेतु 20,000/–रु की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका इस आशय का पेश करेगें कि अभियुक्तगण उक्त अवधि में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगें, शांति व सदाचरण बनाए रखेगें, न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर उपस्थित हो जाएगें, तो उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है। साथ ही, घटना कारित किए जाने के समय एवं आहत के कारित चोटों को दृष्टिगत रखते हुए आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्तगण पर 2500–2500/– रूपये, कुल–5000/–रूपये (अक्षरे दो हजार पांच सौ–दो हजार पांच सौ रूपये, कुल पांच हजार रूपये मात्र) बतौर अभियोजन व्यय के अधिरोपित किए जाते हैं। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के तहत आदेश दिया जाता है कि इस दोषसिद्धि का अभियुक्तगण के भविष्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22– अभियुक्तगण के हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुष्कर, (अजमेर)

23– निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुष्कर, (अजमेर)